डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/आवंटन-01/2012 सो0...697...दिनांक..03/08/2012

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों में प्रयुक्त जेनरेटर भाड़ा एवं ईंधन मद में राशि विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्राप्त अधियाचनाओं के प्रसंग में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों में प्रयुक्त जेनरेटर के भाडा एवं ईंधन मद में राशि विमुक्ति के संबंध मे निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 मे तत्काल अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30.09.2012 तक के लिए इस मद में राशि का आवंटन मिशन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा।परन्तु बिना व्यय प्रतिवेदन के किसी भी जिला को राशि विमुक्त नही की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस हेतु उक्त मद में जिलों को अंतिम विमुक्त राशि का 60 प्रतिशत एवं पूर्व में विमुक्त राशि का शत् प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही इस मद में अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी।

अतः अनुरोध है कि अंतिम विमुक्त राशि का 60 प्रतिशत एवं पूर्व में विमुक्त राशि का शत् प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ दिनांक 30.09.12 तक के लिए जेनरेटर भाड़ा एवं ईंधन मद में राशि की अधियाचना किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

Rajender 3.8.2012

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

अपर मिशन निदेशक

कार्यालयः- सिंचाई बैरक नं. - 1, हार्डिंग रोड, पटना-800015 फोनः- 0612-2545191, फैक्स-0612-2215908
e-mail : amd.bpsm@gmail.com, web : www.bpsm.bih.nic.in